

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,

देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3देहरादून: दिनांक:- 19 नवम्बर, 2013

विषय: राज्य के स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु नोडल अधिकारी एवं सचिवों के नामांकन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-349/जै0वि0बो0-16-3, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्सई के पत्रांक एफ0न0. 2/84/13/12-13/4638, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा जैव विविधता निधि के संचालन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यवाही हेतु आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त जैव विविधता प्रबन्ध समिति हेतु नोडल अधिकारी एवं सचिव का नामांकन निम्नवत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग के क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारियों को, उनके अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMCs) हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
  - (ii) स्थानीय निकाय के निकटस्थ तैनात वन विभाग के वन दरोगा (Forester) अथवा डिप्टी रेंजर को, जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सचिव के रूप में नामांकन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि निकटस्थ स्थान पर वन दरोगा अथवा डिप्टी रेंजर तैनात ना हो तो निकटस्थ तैनात वन बीट अधिकारी (वन रक्षक) को समिति का सचिव नामित किया जा सकेगा।
- 2— कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

N

(मनोज चन्द्रन)  
अपर सचिव।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- (1) समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- (2) निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (4) समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (5) प्रशासक, समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड
- \* (6) निदेशक, एनोआईसी०, उत्तराखण्ड सचिवालय को इंटरनेट के प्रसारण हेतु।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)  
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड विभाग उपर्युक्त अनुसन्धान वर्ष संख्या-३९ / ब०१०१०००००१६-३, २०१० के अनुसार ये मुद्रे वह लकड़ी की निदेशक द्वारा ही की राष्ट्रीय और विदेशी कैफियत के लिए उत्तराखण्ड के नामांकन के सबसे नए लकड़ी के लिए निर्माण की गयी एक छोटी सी लकड़ी है। इसकी विवरण निम्न है।

(१) उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड वनाधिकारी को, उत्तराखण्ड अधिकारियों के बीच जो विवाह घटना हो वहाँ लकड़ी समितियों (SMCs) द्वारा उत्तराखण्ड वनाधिकारी द्वारा दिया जाता है। इसकी विवरण निम्न है। उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा (विभागीय विवरण) द्वारा दिया जाता है। यदि विभागीय समान वर्ष वन विभाग द्वारा आवाय विटो ऐवर लेनाल जा हो तो निकटस्थ वन विभागीय विवरण (वन विभाग) द्वारा लाभित कर रखिया जाता है।

— अनुसन्धान वर्ष अधिकारी कार्यवाही करने का कारण करें।

मददीय,

(मनोज वनकर)  
अपर प्रमुख